

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)  
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)  
(RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*

No. 2011/TG-I/20/P/R.Form

New Delhi, Dated: 30.05.2018

1. The Principal Chief Commercial  
Managers, All Zonal Railways.

2. General Manager/PRS,  
CRIS, Chanakyapuri, New  
Delhi.

**Sub: Clarification on Corrigendum to Commercial Circular No. 11 of 2018-  
dt.19.04.2018 - Updation of Reservation/Cancellation Requisition form.**

\*\*\*\*\*

Instructions were issued to Zonal Railways vide this office letter of even number dated 19.04.2018 (Corrigendum to Commercial Circular No. 11 of 2018) forwarding therewith a copy of updated Reservation/Cancellation Requisition form after incorporating the columns for exercising options for choosing 'Vikalp' scheme and for indicating 'Aadhaar' number.

2. It is clarified that indicating Aadhar number in the requisition form is optional. Accordingly modifications have been made in the reservation/cancellation requisition form, a copy of which is enclosed. Necessary action may be taken accordingly under intimation to all concerned.

DA: As above.

(Shelly Srivastava)  
Director Passenger Marketing  
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House,Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Rrincipals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation ( AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

\*\*\*\*\*

..... RAILWAY

**RESERVATION/CANCELLATION REQUISITION FORM**

If you are a Medical Practitioner, please tick (✓) in box Dr.   
 (You could be of help in an emergency)  
 If you are Pregnant Woman and want to get Berth in Quota, please tick (✓) in box   
 If yes, please submit certificate of Regd. Doctor.   
 If you want Sr. Citizen Concession, please write YES/NO in box   
 (If yes, please carry a proof of age during the journey to avoid inconvenience of penal charging under extant Railway Rules.)  
 If you want to give up Sr. Citizen Concession, please indicate the element of concessional amount, you want to give up: 50%  or 100%   
 Do you want to be upgraded without any extra charge? Write YES/NO in the box.   
 (If this option is not exercised, full fare paying passengers may be upgraded automatically)  
 If you want to get shifted to alternate train under 'VIKALP' scheme, please write YES/NO in the box (only for waiting list tickets), Chose 'VIKALP' for trains leaving within: 12 hours , 24 hours , 48 hours    
 If you are traveling in 3 AC Class of Garib Rath Express Train or in Sleeper Class of Duronto Express Train, do you want bedroll in train? Write YES/NO in the box.   
 Train No. & Name..... Date of Journey.....  
 Class.....No. of Berths/Seats.....  
 Station From.....To.....  
 Boarding at.....Reservation upto.....  
 Mobile No.....(for PNR Status update through SMS)

S. No.	Name in Block Letters (not more than 15 letters)	Nationality	Gender M/F or T	Age	Concession/Travel Authority No.	Choice of Berth if any (LB/UB) In case berth not required for children of age 5 yrs and under 12, write NOSB	Meal Option for Rajdhani/Shatabdi/Duronto trains	
							Do you want to take meal Tick(✓) if yes Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
							Veg.	Non-Veg.
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

**CHILDREN BELOW 5 YEARS (FOR WHOM TICKET IS NOT TO BE ISSUED)**

S. No.	Name in Block Letters	Gender (M/F or T)	Age
1.			
2.			

**ONWARD/RETURN JOURNEY DETAILS**

Train No. & Name..... Date of Journey.....  
 Class..... Station From..... To.....  
 Name of Applicant.....  
 Full Address.....  
 Aadhaar No. (Optional).....

Signature of the Applicant/Representative

Telephone No./Mobile No., if any.....  
 Date..... Time.....

**FOR OFFICIAL USE ONLY**

S. No. of Requisition..... PNR No.....  
 Berths/Seat No..... Amount collected.....

Signature of Reservation Clerk

- Note:**
- Maximum permissible passengers is 6 per requisition, (except in case of Tatkal ticket)
  - One person can give one requisition form at a time, (except in those cases involving onward and return journey of same party)
  - Please check your ticket & balance amount before leaving the window.
  - Form not properly filled in or illegible shall not be entertained.
  - Choice of berths is subject to availability.
  - Passengers booked on single ticket may or may not get compact accommodation in the upgraded class.
  - Pregnant Women can get lower berth reserved for self on first-cum-first served basis against Sr. Citizen Quota.
  - During the journey, one of the passengers has to produce one of the prescribed proofs of identity (in original).

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*

सं. 2011/टीजी-1/20/पी/आर.फॉर्म

नई दिल्ली, दिनांक: 30.05.2018

1. प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें

2. महाप्रबंधक/पीआरएस,  
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

विषय: 2018 के दिनांक 19.04.2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 11 के शुद्धिपत्र पर  
स्पष्टीकरण - आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र को अद्यतन करना।

\*\*\*\*\*

क्षेत्रीय रेलों को इस कार्यालय के दिनांक 19.04.2018 के समसंख्यक पत्र (2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.11 का शुद्धिपत्र) के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसके साथ आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र में 'विकल्प' योजना चुनने और 'आधार' नंबर लिखने के लिए कॉलम शामिल करने के बाद इस मांग-पत्र की एक अद्यतन प्रतिलिपि अद्योषित की गई थी।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि मांग-पत्र में आधार नंबर का उल्लेख करना ऐच्छिक है। आरक्षण/रद्दकरण मांग-पत्र में तदनुसार संशोधन किए गए हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। सभी संबंधितों को सूचित करते हुए तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संलग्नक: यथोक्त



(शैली श्रीवास्तव)

निदेशक यात्री विपणन  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की विल्ट (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

\*\*\*\*\*

**आरक्षण/रद्दकरण मांग पत्र**

यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही ( / ) का निशान लगाएं (आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है)

हाँ

यदि आप गर्भवती महिला हैं और कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहती हैं तो कृपया बाक्स में (√) का निशान लगाएं.  
यदि हाँ, तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

(यदि हाँ, तो कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के लिए यात्रा के दौरान आयु का प्रमाण साथ रखें)

यदि आप वरिष्ठ नागरिक संबंधी रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया रियायती राशि का वह अंश, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, को दर्शाएं: 50%  अथवा 100%

क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

(यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वतः अपग्रेड किया जा सकता है)

यदि आप विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक रेलगाड़ी में अपना टिकट शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो कृपया बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.  
(केवल प्रतीक्षा सूची टिकट वालों के लिए)

यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी या दूरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो क्या आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं? बाक्स में हाँ/नहीं लिखें.

गाड़ी सं. और नाम..... यात्रा की तारीख .....

श्रेणी ..... शायिकाओं/सीटों की सं. ....

स्टेशन से ..... जिस स्टेशन तक .....

यात्रा आरंभ करने का स्टेशन..... स्टेशन तक आरक्षण .....

मोबाइल सं. .... (एसएमएस के जरिए पी.एन.आर.की अद्यतन स्थिति बताने के लिए)

क्र.सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में (15 अक्षरों से अधिक न हो)	राष्ट्रीयता	लिंग (पु./स्त्री) या टी	आयु	रियायत/ यात्रा प्राधिकार सं.	बर्थ की प्राथमिकता यदि कोई हो (निचली बर्थ/ऊपरी बर्थ) यदि 5वर्ष की आयु तथा 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चे के लिए बर्थ अपेक्षित नहीं हो, तो एनओएसबी लिखें	राजधानी/शताब्दी/दूरन्तो रेलगाड़ियों के लिए खाने का विकल्प क्या आप खाना लेना चाहते हैं, (√) करें. हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> यदि हाँ,	
							शाकाहारी	मांसाहारी
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

5 साल से कम आयु के बच्चे (जिनके लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं)

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में	लिंग (पु./स्त्री) या टी	आयु
1.			
2.			

**आगे की / वापसी यात्रा का विवरण**

गाड़ी सं. और नाम..... यात्रा की तारीख .....

श्रेणी ..... स्टेशन से..... स्टेशन तक .....

आवेदक का नाम .....

पूरा पता .....

अधार सं. (वैकल्पिक).....

आवेदक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टेलीफोन नं./ मोबाइल नं (यदि कोई हो)..... यात्रा की तारीख..... समय.....

**केवल सरकारी प्रयोग के लिए**

मांग पत्र की क्रम सं. .... पी.एन.आर. सं.....

शायिका / सीट सं..... वसूल की गई राशि .....

आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

- नोट: 1. एक मांग-पत्र के साथ अधिक से अधिक 6 व्यक्तियों के नाम दिए जा सकते हैं. (तत्काल टिकट को छोड़कर)  
2. एक व्यक्ति एक बार में केवल एक मांग-पत्र दे सकता है. (उसी पार्टी की आगे की/वापसी यात्रा के मामलों को छोड़कर)  
3. कृपया खिड़की छोड़ने से पहले अपनी टिकट और शेष राशि की जांच कर लें.  
4. ठीक ढंग से न भरे गए या अपाठ्य फार्म स्वीकार नहीं किये जाएंगे.  
5. बर्थ संबंधी विशेष मांग पर केवल स्थान उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाएगा.  
6. एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों को अपग्रेड की गई श्रेणी में एक साथ इकट्ठे स्थान भी दिया सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता है  
7. गर्भवती महिलाएं स्वयं के लिए, वरिष्ठ नागरिक कोटे के अंतर्गत "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर निचली शायिका आरक्षित करवा सकती हैं.  
8. यात्रा के दौरान किसी एक यात्री को कोई एक निर्धारित पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। (मूल रूप में)